[2021] 2 एस. सी. आर. 520

क्रिधन इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड।

(अब कृष स्टील एंड ट्रेडिंग पी. वी. टी. लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

वी.

वेंकटेसन शंकरनारायण और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3299)

1 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जेजे।]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-अपीलार्थी ने एक कंपनी के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत की जो चल रही थी

अपीलार्थी ने इस शर्त पर सहमति व्यक्त की कि अगर वह रुपये का भुगतान जमा करने में विफल रहता है तो Rs.15 करोड़ की राशि जब्त कर ली जाएगी। 50 करोड़-08.09.2020 पर, अपील खारिज कर दी गई और NCLAT ने परिसमापन के आदेश को बरकरार रखा-09.10.2020 पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने कहा कि Rs.50 करोड़ की राशि 10.01.2021 पर या उससे पहले जमा की जाएगी-अपीलार्थी को विशेष रूप से सूचित किया गया था कि यदि वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसा करने में विफल रहता है, तो रु। 20 इसके बाद, जमा करने का समय 25.02.2021 तक बढ़ा दिया गया था-हालाँकि, समय बढ़ाने के बाद कई महीने बीत गए और कोई भुगतान नहीं किया गया-अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि उसने वित्त के लिए सावधि ऋणदाताओं के पास स्थानांतरित किया गया-हालांकि, अपीलकर्ता को वित्त उपलब्ध कराने से पहले, ऋणदाता शब्द ने जोर देकर कहा कि कंपनी की स्थिति को परिसमापन के तहत कंपनी की स्थिति से एक सक्रिय कंपनी में बदला जाना चाहिए-आयोजितः अपीलार्थी धन जुटाने में असमर्थ था-मामले का तथ्य यह सामने आता है कि

एक सक्रिय स्थिति के लिए परिसमापन-परिसमापन के आदेश को अलग नहीं रखा गया था-अपीलार्थी का अनुरोध खुद को कम कर देता है, यह है कि वह कंपनी की संपत्तियों के बंधक पर धन जुटाएगा और जब तक कंपनी को परिसमापन से नहीं खरीदा जाता है, तब तक वह धन जुटाने की स्थिति में नहीं होगी-इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है-परिसमापन के आदेश पर रोक लगा दी गई थी और अंतिम विचार लिया जाना बाकी है -

अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिए गए और वह 2 करोड़ रुपये जमा करने में सक्षम नहीं था-अपीलार्थी अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा है-उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत परिकल्पित परिणाम के परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपये की राशि जब्त हो जाती है-परिणामस्वरूप, प्रबंधन ने कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए परिसमापक को वापस करने का निर्देश दिया।

दीवानी अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

कंपनी की परिसंपत्तियों के बंधक पर धन और जब तक कंपनी को परिसमापन से बाहर नहीं लाया जाता है, तब तक यह धन जुटाने की स्थिति में नहीं होगी। यह अस्वीकार्य है। इस स्तर पर, परिसमापन के आदेश पर केवल रोक लगाई गई है, लेकिन इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा एक अंतिम विचार लिया जाना था। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. दोनों के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी को पहले पर्याप्त अवसर दिए गए थे। एन. सी. एल. टी. के आदेश और एन. सी. एल. ए. टी. यह स्पष्ट करता है कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, अपीलार्थी समाधान योजना की शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं है। 9 अक्टूबर 2020 से, लगभग पाँच महीने बीतने के बावजूद, अपीलार्थी 50 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं कर पाया है। आई. बी. सी. के तहत समय योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस तरह की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए विलंबित होने देना स्पष्ट रूप से क़ानून के उद्देश्य को विफल कर देगा। एक कॉर्पोरेट दिवालियापन को हल करने के लिए एक सद्भावना प्रयास एक पसंदीदा [2021] 2 एस. सी. आर. है।

बेशक। हालांकि, एक समाधान आवेदक को अपने व्यवहार में भी निष्पक्ष होना चाहिए। अपीलार्थी अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम सिविल अपील को आगे बढ़ाने का कोई कारण या औचित्य नहीं देखते हैं। परिणाम की परिकल्पना की गई

इस न्यायालय के आदेश के तहत तदनुसार 20 करोड़ रुपये की राशि जब्त की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप इस आदेश के अनुसार, प्रबंधन कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए परिसमापक के पास वापस जाएगा। [पैरा 11] [528-ए-एफ]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक (2018) 1 एससीसी 407 : [2017] 8 एस. सी. आर. 33-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 8 एससीआर 33

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3299

2020 का

राष्ट्रीय संविधान के 08.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 202 में नई दिल्ली में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौरव वर्मा, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मीशा, सुश्री चारू बंसल,

सुश्री प्रभ सिमरान कौर, एस. एस. श्रॉफ, आशीष मखीजा, सुश्री शगुन मट्टा, अभिजीत सेनगुप्ता, दिव्यद्युति बनर्जी, श्रीदीप चटर्जी, आनंद डे, सुश्री सुमेधा बनर्जी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1 यह अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून के एक आदेश से उत्पन्न होती है।

अपीलीय न्यायाधिकरण 'दिनांक 8 सितंबर 2020।

2 अपीलार्थी ने एक कंपनी के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत की

टेकप्रो सिस्टम्स लिमिटेड 2 का नाम जो दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा था। समाधान योजना को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था

1 " एन. सी. एल. ए. टी. "2" कॉर्पोरेट देनदार "3" आई. बी. सी ". कृषाण इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. वेंकटेसन शंकरनारायण [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

8 मार्च 2019 को 89.92% के बहुमत के साथ लेनदार। समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा 15 मई 2019 को मंजूरी दी गई थी। अपीलार्थी ने तदनुसार कॉर्पोरेट देनदार के एस्क्रो खाते में 5 करोड़ रुपये की राशि जमा की। हालाँकि, अपीलार्थी ने छह वर्षों की अवधि में कई अवसरों के बावजूद समाधान योजना के तहत इक्विटी निवेश सहित अपने आगे के दायित्वों को पूरा नहीं किया।

महीनों तक। 11 नवंबर 2019 को, सी. ओ. सी. ने 99.28% के बहुमत से, की विफलता के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट ऋणदाता के परिसमापन के लिए मतदान किया।

समाधान योजना को लागू करने के लिए अपीलार्थी। 16 जनवरी 2020 को, एन. सी. एल. टी. ने कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। एन. सी. एल. टी. के आदेश को एन. सी. एल. ए. टी. ने बरकरार रखा। अन्य बातों के अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. ने नोट किया कि अपीलार्थी आठ महीने से अधिक की अवधि के लिए समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा था और इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

3 जब 9 अक्टूबर 2020 को इस अदालत के समक्ष अपील आई, तो अपीलार्थी की ओर से एक बयान दिया गया कि 50 रुपये की राशि

10 जनवरी 2021 को या उससे पहले करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। परिसमापन

आई. बी. सी. के तहत अंतिम उपाय है। इसे ध्यान में रखते हुए, और अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए गंभीर बयान को देखते हुए, अपीलार्थी को एक अवसर प्रदान किया गया था। तदनुसार, निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

" 1

स्वीकार करें।

हमने वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को सुना है।

2

अपील के समर्थन में। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन की ओर से वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा पेश हुईं

कंपनी लिमिटेड (ई. ए. आर. सी.), एक वित्तीय लेनदार, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलार्थी के समक्ष पेश हुआ था।

न्यायाधिकरण। ई. ए. आर. सी. ने अपीलार्थी का समर्थन किया है। श्री आशीष मखीजा, विद्वान वकील, अपील का विरोध करने और राष्ट्रीय अदालत के आदेश का समर्थन करने के लिए परिसमापक की ओर से पेश होते हैं।

कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

3

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. प्रक्रिया)

7 अगस्त 2017 को कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी गई।

30 अप्रैल 2018 को लेनदारों की समिति (सी. ओ. सी.) द्वारा। द.

4 " सीओसी "

इसलिए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 33 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कॉर्पोरेट ऋणदाता के परिसमापन की मांग की गई थी। एन. सी. एल. टी. द्वारा 16 जनवरी 2020 के अपने आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा 3 फरवरी 2020 को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर करने के बाद, उन्हें एक हलफनामा दायर करने का अवसर दिया गया था जिसमें अनुपालन के लिए समय सीमा का संकेत दिया गया था।

15 एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के सात दिनों के भीतर 50 करोड़ रुपये, जो कि तब ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी था यदि अपीलार्थी उसके बाद तीन महीने के भीतर 50 करोड़ रुपये का बकाया अग्रिम भुगतान करने में विफल रहता है। अपीलार्थी ने 2 मार्च 2020 को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें उसे उपरोक्त शर्तों पर बनी सहमति से अवगत कराया गया। 29 जुलाई 2020 को, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलार्थी को दस दिनों के भीतर पूर्ववर्ती सी. ओ. सी. के ऋणदाताओं द्वारा निर्दिष्ट एस्क्रो खाते में 15 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति दी। यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के अनुपालन में 15 करोड़ रुपये जमा किए हैं। अपीलार्थी ने परिसमापन आदेश को वापस लेने की तारीख से तीन महीने के भीतर 50 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने के अपने दायित्व को स्वीकार करते हुए 18 अगस्त 2020 को हलफनामे पर एक वचन पत्र दायर किया। अपीलार्थी ने इस शर्त पर सहमति व्यक्त की कि यदि वह 50 करोड़ रुपये का भुगतान जमा करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा एस्क्रो में जमा की गई 15 करोड़ रुपये की राशि जब्त हो जाएगी। एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने दिनांक 8 के आदेश द्वारा

सितंबर 2020 में, अपील को खारिज कर दिया और परिसमापन के आदेश को बरकरार रखा।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि उपक्रम का परिसमापन अंतिम उपाय और सुसंगत एच. ए. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. होना चाहिए।

लिमिटेड। वी. वेंकटेसनरनारायन [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उस समझ के साथ जो 25 फरवरी को हुई थी

2020 , अपीलार्थी सहमति के अनुसार शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि तीन महीने की अवधि के भीतर, अपीलकर्ता 50 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान लाएगा, जिसमें विफल रहने पर 15 करोड़ रुपये की राशि जो पहले ही एस्क्रो में जमा की जा चुकी है, समाधान योजना की मंजूरी के बाद जमा की गई 5 करोड़ रुपये की राशि के साथ जब्त हो जाएगी। ई. ए. आर. सी. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जो अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि सी. ओ. सी. के पूर्व सदस्यों ने अपने व्यावसायिक निर्णय में समाधान योजना को लागू करने की अनुमति देना अपने सर्वोत्तम हित में पाया है।

परिसमापक की ओर से पेश विद्वान वकील श्री आशीष मखीजा ने अपील का विरोध करते हुए कहा है कि परिसमापक सैद्धांतिक रूप से अनुरोध का विरोध नहीं करता है।

न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में, वह न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराना चाहेंगे कि अपीलार्थी ने निम्नलिखित कदम नहीं उठाए

अपने दायित्वों का पालन करने के लिए मई 2019 में समाधान योजना को मंजूरी।

निगमित ऋणदाता का परिसमापन अंतिम उपाय होना चाहिए। आई. बी. सी. एक व्यापक जनता को मान्यता देता है।

निगमित दिवालियापन को हल करने में रुचि और इसका उद्देश्य केवल देय धन की वसूली नहीं है और

उत्कृष्ट। अपीलार्थी ने कम से कम वर्तमान चरण में प्रथम दृष्टया अपनी ईमानदारी का संकेत दिया है -

25 फरवरी 2020 को हुई सहमति के अनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, उसके द्वारा जमा की गई 20 करोड़ रुपये की राशि को जब्त करने के लिए बिना शर्त सहमत होना। अपीलार्थी को ऐसा करने का एक अंतिम अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करने के लिए एक

25 फरवरी 2020 को तय की गई सहमति के संदर्भ में 50 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि। अपीलार्थी को विशेष रूप से [2021] 2 एस. सी. आर. के नोटिस पर रखा गया है।

तथ्य यह है कि यदि वह पूर्ण या आंशिक रूप से ऐसा करने में विफल रहता है, 20 करोड़ रुपये की पूरी राशि जो

अब तक जमा किए गए धन को बिना किसी राशि के जब्त कर लिया जाएगा।

अपीलार्थी को आगे का सहारा दें। तदनुसार,

निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए गए हैं:

एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेश का संचालन

((i)

दिनांक 8 सितंबर 2020, रोक दिया गया है;

((ख)

अपीलार्थी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए

समाधान योजना को लागू करना और अनुपालन में

25 फरवरी 2020 को हुई समझ के साथ

10 को या उससे पहले 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करें।

जनवरी 2021; और

निगमित देनदार की संपत्तियों की नीलामी

(iii)

इस बीच बने रहेंगे।

अपील 12 जनवरी 2021 को सूचीबद्ध की जाएगी।

10

(जोर दिया गया)

4. इसके बाद, 25 नवंबर 2020 को, उपरोक्त आदेश था

इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया और जमा करने का समय 25 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया।

5. हालांकि पहले आदेश के बाद से लगभग पांच महीने बीत चुके हैं,

भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे आदेश के बाद भी

समय का विस्तार, तीन महीने बीत चुके हैं। स्थगन आदेश के बाद अपीलार्थी ने निगमित देनदार को अपने हाथ में ले लिया। आरोप दिए जाने के बावजूद, अपीलार्थी ने अपने पारस्परिक दायित्वों को पूरा नहीं किया है। 2021 का आई. ए. 22633 सिविल अपील में दायर किया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनियों के पंजीयक और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कॉर्पोरेट ऋणदाता के नव नियुक्त निदेशकों और हस्ताक्षरकर्ताओं को रिकॉर्ड पर लें; कॉर्पोरेट ऋणदाता को एक सक्रिय कंपनी के रूप में स्वीकार करें और इसकी स्थिति को "परिसमापन के तहत" से "सक्रिय" में बदल दें और आम तौर पर इस न्यायालय के पिछले आदेशों के अनुपालन में सभी कार्रवाई करें।

6. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी की ओर से, प्रस्तुत करता है कि 9 अक्टूबर 2020 और 25 नवंबर 2020 के पहले के आदेशों के अनुसार, अपीलार्थी ने वित्त के लिए सावधि ऋणदाताओं को स्थानांतरित किया था। तथापि, अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि पहले

6 " IBBI "KRIDHAN INFRASTRUCTURE PVT। लिमिटेड। वी. वेंकटेसन शंकरनारायण [डॉ। धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

वित्त अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जा सकता है, सावधि ऋणदाताओं ने जोर देकर कहा है कि कंपनी की स्थिति को परिसमापन के तहत कंपनी की स्थिति से एक सक्रिय कंपनी में बदला जाना चाहिए। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा 15 पर संबोधित ईमेल की एक प्रति जनवरी 2021 को उपरोक्त आई. ए. में जोड़ा गया है। श्री विश्वनाथन प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के पिछले आदेशों में माना गया है कि अपीलार्थी को 25 फरवरी 2020 को सी. ओ. सी. के साथ हुई समझ के संदर्भ में 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता इसलिए निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर बंधक प्राप्त करने के बाद धन जुटाएगा। हालांकि, सावधि ऋणदाता तब तक धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं हैं जब तक कि कंपनी की स्थिति में बदलाव नहीं किया जाता है।

7. एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में ई. ए. आर. सी. की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। सुश्री अरोड़ा ने प्रस्तुत किया है कि ई. ए. आर. सी., जैसा कि पहले के आदेशों में दर्ज है, ने समाधान योजना का पालन करने के अपने प्रयासों में अपीलार्थी का समर्थन किया है।

और तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा उपयुक्त आदेश पारित किए जा सकते हैं ताकि अपीलार्थी को आवश्यक धन जुटाने में सुविधा हो सके।

8. दूसरी ओर, श्री आशीष मखीजा, विद्वान वकील, जो परिसमापक की ओर से पेश हुए थे, प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि प्रबंधन अपीलार्थी को सौंप दिया गया था, अपीलार्थी ने

मध्यस्थता मामलों सहित विभिन्न विवादों को निपटाने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और इसे विभिन्न अवसर दिए जाने के बावजूद, अपीलार्थी धन जुटाने में असमर्थ रहा है, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष कहा गया है। इसलिए, श्री मखीजा प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चूक पर इस न्यायालय द्वारा एक उचित दृष्टिकोण लिया जा सकता है।

9. श्री मखीजा के उपरोक्त निवेदन का श्री विश्वनाथन ने खंडन किया है जो इस बात से इनकार करते हैं कि मध्यस्थता के दावों का निपटारा कर दिया गया है। 10. 9 अक्टूबर 2020 के अदालत के आदेश के अनुसार, जो वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए बयान पर पारित किया गया था, 10 जनवरी 2021 से पहले 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी। 25 नवंबर 2020 को, पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए, जिसके द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश पर रोक लगाई गई थी, 50 करोड़ रुपये जमा करने का समय 25 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से नोटिस दिया गया था कि रुपये की राशि। 20 यदि अपीलार्थी आदेश की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो पहले से जमा किए गए करोड़ रुपये जब्त कर लिए जाएंगे।

21] 2 एस सी आर।

अपीलार्थी उन सावधि ऋणदाताओं से धन जुटाने में असमर्थ होगा जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कंपनी की स्थिति परिसमापन के तहत कंपनी से सक्रिय स्थिति में बदलनी चाहिए। परिसमापन का आदेश अलग नहीं किया गया है। अंततः, अपीलार्थी का अनुरोध इस हद तक सीमित हो जाता है कि वह कंपनी की परिसंपत्तियों के बंधक पर धन जुटाएगा और जब तक कंपनी को परिसमापन से बाहर नहीं लाया जाता, तब तक वह ऐसा करेगा। धन जुटाने की स्थिति में न हों। यह अस्वीकार्य है। इस स्तर पर, परिसमापन के आदेश पर केवल रोक लगाई गई है, लेकिन इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा एक अंतिम विचार लिया जाना था। पर्याप्त अवसर दिए गए

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. दोनों के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश इसे बनाते हैं।

यह बहुत स्पष्ट है कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद, अपीलार्थी समाधान योजना की शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं है। 9 अक्टूबर 2020 से, लगभग पाँच महीने बीतने के बावजूद, अपीलार्थी 50 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं कर पाया है। आई. डी. 1 के तहत समय योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस तरह की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन देरी में समाप्त होने देना स्पष्ट रूप से क़ानून के उद्देश्य को विफल कर देगा। निगमित दिवालियापन को हल करने के लिए एक सद्भावनापूर्ण प्रयास एक पसंदीदा पाठ्यक्रम है। हालाँकि, एक समाधान आवेदक को अपने व्यवहार में भी निष्पक्ष होना चाहिए। अपीलार्थी अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम सिविल अपील को आगे बढ़ाने का कोई कारण या औचित्य नहीं देखते हैं। इस न्यायालय के आदेश के तहत परिकल्पित परिणाम तदनुसार 20 करोड़ रुपये की राशि की जब्ती के संदर्भ में होगा। इस आदेश के परिणामस्वरूप, प्रबंधन परिसमापक के पास वापस आ जाएगा।

कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए। तदनुसार दीवानी अपील खारिज कर दी जाती है।

12. अभियोग के लिए आवेदन सहित लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

8 इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407, पैरा 12-16